4.1.2022: पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।
तहसीलदार डेगाना से पत्र क्रमांक 2537 दिनांक
3.8.21 से बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई। जो शामिल
मिसल है। बहस उभय पक्ष वकुलाय सुनी गई।
बाद बाडी डिक्री दिया जाता है विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
[illegible] एवं उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या – 77/2017

वादी – छगनलाल पुत्र अणदाराम जाति खाती निवासी बाजियासर तहसील डेगाना जिला नागौर राज0

बनाम

प्रतिवादीगण– 1. रामाकिशन पुत्र अणदाराम
2. मांगीलाल पुत्र अणदाराम जाति खाती निवासी बाजियासर तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
3. किशनसिंह पुत्र गोपालराम
4. पृथ्वीसिंह पुत्र भोलाराम
5. गुलाबसिंह पुत्र भोलाराम
6. शांति पत्नी भोलाराम जातियान रावणा राजपूत निवासीगण बाजियासर तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
7. बोदूसिंह पुत्र रामदेव
8. रतनसिंह पुत्र रामदेव
9. सोहनसिंह पुत्र रामदेव जातियान रावणा राजपूत निवासी बाजियासर तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
10. रणधीर चौधरी पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी 543–बी सन्तोष सदन, मोतीनगर वेस्ट वार्ड नम्बर 13 शिव कॉलोनी, वैशाली नगर जयपुर।
11. रेवन्तसिंह के कायम मुकामन–
11/1.भंवर कंवर पत्नी रेवन्तसिंह
11/2.भंवरसिंह पुत्र रेवन्तसिंह
11/3.पुष्पा कंवर पुत्री रेवन्तसिंह पत्नी कैलाशसिंह
11/4.बाया कंवर पुत्री रेवन्तसिंह पत्नी पुष्पसिंह
11/5.बाबुसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासी बाजियासर तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
12. गोपालसिंह पुत्र देवीसिंह के कायम मुकाम –
12/1.छोटीदेवी पत्नी गोपालसिंह
12/2.राजुसिंह पुत्र गोपालसिंह
12/3.सुमन कंवर पुत्री गोपालसिंह
12/4.जीतुसिंह पुत्र गोपालसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासी बाजियासर तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
13. सोहनसिंह पुत्र देवीसिंह
14. हनुमानसिंह पुत्र देवीसिंह
15. मनोहरसिंह पुत्र देवीसिंह
16. पतासी पत्नी देवीसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासी बाजियासर तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
17. नरपतसिंह पुत्र दीपसिंह
18. मनोहरसिंह पुत्र दीपसिंह
19. औंकारसिंह पुत्र दीपसिंह

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

20. जयसिंह पुत्र दीपसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासी बाजियासर तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
21. सुगनसिंह पुत्र उगमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी जावा सिसोदिया तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
22. गोपालदास पुत्र प्रभूदास जाति वैष्णव निवासी गौरेड़ी चांचा तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
23. उर्मिला पत्नी वेणीगोपाल जाति ब्राम्हण निवासी गौरेड़ी चांचा तहसील डेगाना जिला नागौर राज0
24. तहसीलदार डेगाना

<u>अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

अधिवक्ता वादी – श्री कमलेश नारायण व्यास
अधिवक्ता प्रतिवादी– श्री जीयाराम रॉयल

दिनांक 04-01-2022

–: निर्णय :–

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया है कि वाके मौजा बाजियासर तहसील डेगाना में खेत खसरा नंबर 76 रकबा 08.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 78 रकबा 6.20 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 205/76 रकबा 0.94 हैक्टेयर कुल रकबा 15.14 हैक्टेयर जमीन पूर्व में धन्नादास पुत्र पोकरदास, किशनसिंह, पृथ्वीसिंह, गुलाबसिंह, छोटुसिंह पिसरान भोलाराम, छगनाराम, रामाकिशन, मांगीलाल पिसरान अणदाराम, रामदेव पुत्र बचनाराम, छैलाराम पुत्र अन्नाराम जाति राईका एवं रेवन्तसिंह, गोपालसिंह, सोहनसिंह, हनुमानसिंह, मनोहरसिंह पि0 देवीसिंह, पतासी पत्नी देवीसिंह की संयुक्त खातेदारी की काश्त एवं कब्जासुदा आई हुई है जिस में से होकर खसरा नंबर 205/76 रकबा 0.95 हैक्टेयर जमीन आम रास्ता सड़क डेगाना से अजमेर की निकाली हुई है जिसके कारण काबिज काश्त जमीन का वर्तमान समय में कुल रकबा 14.20 हैक्टेयर ही है। नकल जमाबन्दी संवत 2072–2075 वास्ते मुलाहिजा पेश है। उपरोक्त सभी सहखातेदारान जिसका उक्त खसरों की जमीन पर काश्त एवं कब्जा था। उन्होने आपसी सहमति से अपने–अपने हक हिस्से की जमीन जिस पर वो काश्त करते थे उसका आपस में बंटवाड़ा कर अपने–अपने हक हिस्से की जमीन पर अलग–अलग स्वतन्त्र रूपसे सींवे मांठे कायम कर स्वतन्त्र रूपसे काबिज होकर अपने–अपने हक हिस्से में आई जमीन पर पैदा होने वाली प्राकृतिक पैदावार को अपने–अपने उपयोग एवं उपभोग में लेने लग गये जो आज दिन बदस्तूर काम में ले रहे है।

वाद के फिकरा नम्बर 1 में दर्ज खसरों की जमीन का जिस प्रकार से सभी सहखातेदारों ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जिसका विवरण वाद पत्र के फिकरा संख्या 3 से 11 में अंकित किया है। इस जमीन का रकबा 95. 00 बीघा (15.14 हैक्टेयर) है परन्तु उक्त खसरों की जमीन में से डेगाना–अजमेर मुख्य सड़क निकल जाने से मौके पर वर्तमान में इस जमीन का रकबा 87.00 बीघा (14.20 हैक्टेयर) ही है इसलिये इसी अनुरूप मौके पर मौजूद

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Continue प्रेष

रकबा के आधार पर बंटवाड़ा कर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 अपने बंट के अनुसार मौके पर मौजूद है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद हक हिस्से एवं बंट की जमीन को लेकर नहीं है बल्कि वाद पत्र के फिकरा संख्या 2 से 11 में बताये अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 अपने अपने बंट में आई जमीन पर काबिज होकर काश्त कर रहे है और सभी ने अपने-अपने हिस्से एवं बंट की जमीन पर सीवें माठें कायम कर स्वतन्त्र रूपसे काश्त कर प्राकृतिक पैदावार ले रहे है परन्तु मुतनाजा जमीनों की खातेदारी में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 का नाम संयुक्त रूपसे दर्ज होने एवं इनका अलग-अलग रकबा दर्ज नहीं होने के कारण कई प्रकार की कानूनी उलझने पैदा हो सकती है। इसलिये वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 मुतनाजा खसरों की जमीनों में से अपना-अपना अलग हिस्सा दर्ज करवाने हेतु दावा बाबत बंटवाड़ा पेश किया है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बाजियासर तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नंबर 76 रकबा 8.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 78 रकबा 6.20 हैक्टेयर कुल रकबा 14.20 हैक्टेयर जमीन का बंटवाड़ा वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच वाद पत्र के फिकरा नम्बर 2 से 11 में बताये अनुसार कर लेने एवं इसी अनुरूप वो मौके पर काबिज होने के कारण उक्त बंटवाड़ा पर जरिये मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराया जाकर जरिये पत्थरगढ़ी से इनका हिस्सा चिन्हित कराया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराया जावे। खसरा नंबर 205/76 रकबा 0.94 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता की जमीन होने से इस जमीन का कोई भी हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 को नहीं दिया जाने के कारण इस खसरा की जमीन की इस खातेदारी की जमीन से हटवाई जाकर इसकी स्वतन्त्र खातेदारी दर्ज की जाकर इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9, 11/1 से 11/5, 12/1 से 12/4, 13 से 23 ने वादीगण के वाद तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपना इकबाली जवाब दावा पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 10 की ओर अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश कर कथन किया है कि वादी व अन्य सहखातेदारान के बीच मौके पर कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा वादी व अन्य सहखातेदारान आपस में मिलकर डेगाना अजमेर मुख्य सड़क पर स्थित कीमती जमीन अपनी अपनी बताकर उक्त भूमि का अपनी मनमर्जी से बंटवाड़ा करवाने की नियत से यह दावा पेश किया है जबकि प्रतिवादी संख्या 10 भी उक्त बंटवारे में आम सड़क डेगाना अजमेर से होते हुए अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है जिससे सभी सहखातेदारान के बीच खसरा नंबर 205/76 रकबा 0.94 हैक्टेयर भूमि को मुख्य आधार बनाकर सभी सहखातेदारान का बंटवाड़ा किया जाना न्यायोचित व न्यायहित में होगा एवं वादी द्वारा इस वाद में जो बंटवारे का विवरण सहखातेदारान के बीच मौके पर अलग-अलग दर्शाया है उसमें अलग-अलग खसरान में से वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच वाद में वर्णित दोनों खसरान में से कितनी कितनी भूमि

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Continue-पेज 4

बंट में आई भूमि का स्पष्ट विवरण नहीं दिया है जिससे वादी इस वाद के द्वारा उक्त दोनो खसरान की भूमि का बंटवारा करवाने का अधिकारी नहीं है एवं वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर वाद पत्र में विवाद बिन्दु निर्धारित किये गये एवं पत्रावली में दिनांक 06.02.2019 को प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार डेगाना को आदेशित किया गया कि राजस्व ग्राम बाजियासर पटवारी हल्का कितलसर तहसील डेगाना में दर्ज खसरा नंबर 76 रकबा 08.00 हैक्टेयर व खसरा नंबर 78 रकबा 6.20 हैक्टेयर भूमि से रास्ते सहित तकमीना तैयार कर मौके पर काश्त व कब्जे के अनुसार बंटवाड़ा स्कीम बनाकर मौका एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

तहसीलदार डेगाना ने माफिक प्राथमिक डिक्री राजस्व ग्राम बाजियासर के खसरा नंबर 76, 205/76 एवं 78 कुल रकबा 15.14 हैक्टेयर भूमि का बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार प्रस्तुत किया, मगर बंटवाड़ा प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री नहीं होने से इस न्यायालय द्वारा पुनः माफिक डिक्री तहसीलदार डेगाना से बंटवाड़ा प्रस्ताव चाहे गये जिस पर तहसीलदार डेगाना ने अपने पत्रांक/भू.अ./बंटवाड़ा/2021/2537 दिनांक 03.08.2021 से बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 02.07.2021 मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये है। प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव पर उभय पक्ष वकुलाय को सुना गया। उभय पक्ष वकुलाय ने बंटवाड़ा प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव वाद डिक्री करने पर अपनी सहमति प्रकट की है।

चूंकिः उभय पक्षकार माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव दावा डिक्री करने पर सहमत है जिससे प्रकरण का तनकीवार निर्णय नहीं किया जा रहा है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उभय पक्षकारान उक्त वादग्रस्त भूमि के रेकोर्डेड खातेदार है हालांकि उक्त जमाबन्दी के अवलोकन से खातेदारान के हिस्से ज्ञात नहीं होते है परन्तु वादी ने अपने वाद पत्र में पक्षकारान खातेदारान के हिस्से दर्शाये है जिनको सहखातेदारान ने अपने इकबाली जवाब दावा में स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 10 ने भी अपने जवाब दावा में हिस्से को लेकर कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया है। इससे वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत हिस्से अनुसार भूमि का बंटवाड़ा किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या 10 ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि मौके पर भूमि का बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है तथा सभी को मुख्य सड़क को आधार मानकर हिस्सा देते हुए बंटवाड़ा किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्राथमिक डिक्री में तहसीलदार डेगाना को निर्देशित करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव चाहे गये। तहसीलदार डेगाना ने माफिक आदेश मौके पर काबिज अनुसार नजरी नक्शा सहित बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा मुख्य सड़क पर नहीं होकर पीछे रखा गया है और उसे मुख्य सड़क डेगाना–अजमेर से एक रास्ता देते हुए हिस्सा दिया गया है। उपस्थित उभय पक्ष वकुलाय को इस बिन्दु पर सुना

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Continue Page 5

गया। अधिवक्ता वादी ने कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से के एक अन्य रास्ता सड़क पूर्व में लगती है इसके अलावा उसी माफिक आदेश मुख्य सड़क से आवागमन हेतु एक रास्ता दिया गया है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10 ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की है एवं उक्तानुसार बंटवाड़ा स्वीकृत करने का कथन किया है। बंटवाड़ा प्रस्ताव में रास्ते की चौड़ाई व रकबा अंकित नहीं किया है जिसके संबंध में आदेशित किया जाना आवश्यक है। न्यूनतम 20 फिट चौड़ा रास्ता रखते हुए हिस्साकस्सी की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। साथ ही वाद पत्र में वादी ने यह कथन किया है कि खसरा नंबर 205/76 पर मौके पर सड़क है जो डेगाना–अजमेर जाती है और उक्त भूमि को खातेदारी भूमि से पृथक किया जावे। प्रस्तुत वाद केवल धारा 53 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया गया है एवं राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से उक्त खसरा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 के नाम दर्ज है। अगर उक्त खसरा का बंटवाड़ा नहीं किया जाता है तो शेष भूमि के बंटवाड़े का कोई औचित्य नहीं रहेगा जिससे तहसीलदार डेगाना ने अपने बंटवाड़ा प्रस्ताव में खसरा नंबर 76, 78 के साथ खसरा नंबर 205/76 को भी सम्मिलित किया है एवं उक्तानुसार ही बंटवाड़ा किया जाना उचित होगा। उपर्युक्त विवेचन अनुसार वाद वादी माफिक इकबाली जवाब एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव के डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बाजियासर तहसील डेगाना के खसरा नंबर 76 रकबा 8.00 हैक्टेयर, खसरा नंबर 205/76 रकबा 0.94 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 78 रकबा 6.20 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 15.14 हैक्टेयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 के मध्य तहसीलदार डेगाना द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से की भूमि हेतु जो रास्ता मुख्य सड़क डेगाना–अजमेर से रखा गया है उसकी चौड़ाई 20 फिट रखते हुए राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। इसी अनुसार पृथक–पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम किये जावे। नियमानुसार बंटवाड़ा स्टॉम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)